

मंत्रालय

देश की कम
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

28.06.19

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह- आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0-11/2019

हरिष तांबी-बनाम- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ
प्राधिकार एवं अन्य


दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा-कतरास, थाना नं0-239, खाता नं0-60, प्लॉट नं0-630, रकवा-2.0726 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी- द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थ विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।


आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का बाजार दर पर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधिग्रहित भूमि व्यवसायिक भूमि है, जिसपर पेट्रोल पम्प निर्मित है, जबकि मुआवजा राशि का मूल्यांकन आवासीय दर पर किया गया है, आवेदक द्वारा भूमि एवं अवस्थित संरचना का पुर्नमूल्यांकन कर व्यवसायिक दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को **Not Maintainable** बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया कि भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचनाओं का भूमि की वास्तविक प्रकृति के अनुसार निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर देय मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रोत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर धनबाद।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर धनबाद।